न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : डॉ. रविन्द्र गोस्वामी I.A.S.

प्रकरण संख्या – 03 / 2024 (अपील)

जीसीएमएस नं0 2024 / 15

1. गुरूसेवक सिंह आत्मज श्री दीवान सिंह जाति जट सिक्ख
2. गुरूभगत सिंह आत्मज श्री दीवान सिंह जाति जट सिक्ख
3. परमजीत कौर पुत्री श्री दीवान सिंह जाति जट सिक्ख
4. वीरपाल कौर पुत्री श्री दीवान सिंह जाति जट सिक्ख
5. करनजीत कौर पुत्री श्री दीवान सिंह जाति जट सिक्ख
6. चरनजीत कौर पुत्री श्री दीवान सिंह जाति जट सिक्ख

निवासीगण ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0

––अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

––रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी आदेश कमांक 201 दिनांक 26.2.2008 कार्यवाही धारा 90ए तहसीलदार लाडपुरा नामान्तरकरण संख्या 1163 दिनांक 5.3.2008 के विरूद्व

उपस्थिति

1. श्री ललित नागर, अभिभाषक अपीलान्ट
2. पेरोकार सरकार

<u>निर्णय</u>

दिनांकः–20.08.2024

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा कोटा ने पटवारी रिपोर्ट के आधार पर ग्राम कैथून स्थित अपीलांट खातेदार के स्वयं के खाते की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1738 रकबा 1.13 हे0 को अकृषि कार्य मिट्टी खुदाई कर बेची जाने के फलस्वरूप निर्णया दिनांक 25.2.2008 से सिवायचक दर्ज के आदेश की पालना तहसील के जारी आदेश दिनांक 26.2.2008 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 1163 दिनांक 5.3.2008 से भूमि सिवायचक दर्ज की गई ।
2. उक्त निर्णय दिनांक 25.2.2008 के अनुसरण में जारी आदेश दिनांक 26.2.2008 की पालना में नामान्तकरण संख्या 1163 दिनांक 5.3.2008 से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 20.11.2023 को पेश की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम कैथून की आराजी खसरा नम्बर 1738 की रकबा 1.13 हे0 भूमि को अकृषि प्रयोग में लेने के आधार पर धारा 90–ए सपठित धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अंतर्गत तहसील प्रकरण कमांक 201 दिनांक 26.2.2008 दर्ज कर अपीलांट के पिता स्वर्गीय दीवान सिंह जी की खातेदारी की भूमि को अकृषि .कार्य में लेने से धारा 90–ए एल आर एक्ट के अन्तर्गत सिवायचक दर्ज करने एवं जुर्माना अधिरोपित करने का आदेश दिनांक 26.2.2008 को अवैध व गैर कानूनी तरीके से मौके की रिपोर्ट के विरूद्व जाकर पारित कर दिया । आदेश जैर अपील न्याय एवं सिंचिका में सिद्वि प्राप्त तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

जिला कलक्टर
कोटा

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई। पेशकार सरकार उपस्थित। वकील अपीलांट एवं पेशकार सरकार की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील अपील मेमो में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण प्रमाणित नहीं होने के बावजूद भी आदेश पारित किया है जबकि अपीलांट्स वाद वर्णित भूमि का खातेदार मालिक है और उसे अपनी भूमि पर काश्त करने, उसे विकसित करने समतल करने के अधिकार प्राप्त है । अपीलांट्स का किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं होने के बावजूद भी केवल मात्र भूमि सुधार की दृष्टि से मिट्टी हटाने के कारण उक्त आलौच्य आदेश पारित किया है जो कानून के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही जेर अपील आदेश पारित किया है । वास्तवितकता यह है कि वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 1738 की रकबा 1.13 हे0 वाके ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा उबड़ खाबड़ थी, और अनुपजाउ थी, खाल भूमि में निकले हुये थे, ऐसी स्थिति मे अपीलांट्स ने भूमि को उपजाउ व समतल बनाने के उद्देश्य से मिट्टी की खुदाई करते हुए मिट्टी हटवाने का कार्य किया जिस पर हल्का पटवारी द्वारा मौके के विरूद्ध वास्तविक स्थिति के विरूद्ध जाकर अपीलांट्स से दुर्भावना रखते हुये रिपोर्ट पेश कर भूमि को सिवायचक दर्ज करने का अनुरोध अधीनस्थ न्यायालय से किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने वास्तविक स्थिति को जाने बिना ही अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलांट्स की खातेदारी की भूमि को सिवायचक दर्ज करने का आदेश पारित करने में गलती की है । वर्ष 2008 के पूर्व एवं 2008 से बाद से लेकर आज तक वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट्स द्वारा काश्त की जा रही है और भूमि को कृषि कार्य के लिये ही एकमात्र रूप से उपयोग मे लिया जा रहा है । अपीलांट्स के विरूद्ध आदेश पारित करने के साथ साथ और भी लोगों के विरूद्ध भूमि सुधार की दृष्टि से मिट्टी हटवाने का कार्य करने के कारण पारित किये गये है । इस सम्बन्ध में गुरूभगत सिंह पुत्र श्री दीवान सिंह जाति जट सिक्ख निवासी कैथून, की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1739 की भूमि रकबा 0.37 हे0 भूमि को पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर 592/— का जुर्माना व भूमि को राजकीय सिवायचक दर्ज करने के के आदेश दिनांक 3.6.2002 को पारित किये गये थे । उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय में अपील पेश हुई, जिस पर सुनवाई करते हुये माननीय न्यायालय ने दिनांक 23.9.2002 को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त कर दिया, केवल मात्र अवैध खनन के लिए जुर्माना, शास्ति आरोपित की गई । अपीलांट्स का मामला भी समान प्रकृति का है, अपीलांट्स शास्ति जमा करवाने के लिए तैयार व तत्पर है । इन तत्परिस्थितियों में अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाना आवश्यक है । अपीलांट्स स्वर्गीय दीवान सिंह जी के वारिसान है । दीवान सिंह जी का दुर्भाग्यवश लम्बी बीमारी के कारण स्वर्गवास हो गया और उनको कभी भी उपरोक्त आलौच्य आदेश पारित करने के पूर्व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया और ना ही आदेश की जानकारी प्रदान की गई । इस प्रकार स्व0 दीवान सिंह जी सद्भावनावश उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते रहे । उनके स्वर्गवास के बाद अपीलांट्स काश्त करते चले आ रहे है । अभी अभी अपीलांट्स ने वादग्रस्त भूमि पर बैंक से वित्तीय सुविधा प्राप्त करने पर विचार किया और तब अपीलांट्स ने दिनांक 16.10.2023 को जमीन की जमाबंदी निकलवाई तो ज्ञात हुआ कि अपीलांट्स की भूमि सिवायचक दर्ज की जा चुकी है तो दिनांक 26.2.2023 को आदेश एवं नामान्तकरण की नकल प्राप्त करने का आवेदन किया तथा दिनांक 6.11.2023 को नकल नामान्तकरण की प्राप्त हुई किन्तु आदेश की नकल प्राप्त नहीं हुई । चूंकि मामला अपीलांट्स के साम्पत्तिक मूलभूत अधिकारों से जुडा हुआ है इसलिये देरी को माफ फरमाया जाकर अपील पर गुणावगुण पर सुनवाई करते हुए निर्णय पारित किया जाना आवश्यक है । अपील प्रस्तुत करने में जो देरी हुई है वह सद्भाविक व बोनाफाईड है और देरी का वास्तविक, युक्तियुक्त व उचित कारण रहा है । इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च

न्यायालय द्वारा विधि को स्थापित किया है कि देरी के सम्बन्ध में न्यायालय को उदारता पूर्ण दृष्टिकोण रखना चाहिये । इस सम्बन्ध में 2017 DNJ SCC page 928 प्रस्तुत है । 2021(4) DNJ SC page 1167 प्रस्तुत है ·। इसी के साथ साथ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक निर्णय DNJ2014(3)Page1136 में यह सिद्वांत प्रतिपादित किया है कि न्यायालय को धारा 5 लिमिटेशन के मामलों में उदार दृष्टिकोण रखना चाहिये और दृष्टिकोण न्यायनोमुखी होना चाहिये, जिनके आधार पर देरी को कंडोन फरमाया जाना आवश्यक है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.2.2008 एवं आदेश की पालना में तस्दीक किये गये नामा0 संख्या 1163 दिनांक 5.3.2008 को निरस्त फरमाया जावें एवं अपीलांट्स की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1738 की रकबा 1.13 हे0 वाके ग्राम कैथून, तहसील लाडपुरा को राजकीय सिवायचक भूमि से हटाकर अपीलांट्स के खातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें ।

5. पेरोकार सरकार ने अपनी बहस मे कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पटवारी अनुसार मौके पर कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजना मिट्टी खुदाई कर मिट्टी का बेचान करने के कारण धारा 90ए के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करते हुए वर्णित भूमि को सिवायचक दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है । अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के पूर्व प्रकरण संख्या 110/2002 निर्णय दिनांक 23.9.2002 का हवाला देते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का इसी तरह का आदेश जिसमें भूमि सिवायचक दर्ज की गई थी तथा केवल अवैध खनन कर प्रकरण होना बताते हुए इस अपीलाधीन आदेश में भी केवल अवैध खनन का प्रकरण बताया है । अपीलांट द्वारा प्रकरण निर्णय दिनांक 23.9.2002 में न्यायालय जिला कलक्टर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त नहीं किया है अपितु तहसीलदार द्वारा सिवायचक दर्ज करने, व जुर्माना 592/– के साथ साथ प्रकरण अवैध खनन का भी मानते हुए 500/– शास्ति ओर आरोपित की गई है । अपीलांट का कथन असत्य है । साथ ही राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के प्रकरण संख्या 223/2006 की आदेशिका पेश की है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त करने का कोई उल्लेख नहीं है अन्तिम निर्णय क्या हुआ, निर्णय की प्रति प्रस्तुत नहीं की है । इस प्रकार अपीलांट का कथन भी की उनके द्वारा उक्त वर्णित भूमि पर काश्त करने की पुष्टि में खसरा गिरदावरी की नकले भी काश्त की पुष्टि में प्रस्तुत नहीं की है । अपील आधारहीन होने से निरस्त फरमाई जावें ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी व बहस पर मनन किया। न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.2.2008 से भूमि सिवायचक दर्ज करने के आदेश होने पर तहसील के पत्र दिनांक 26.02.2008 की पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1163 दिनांक 5.3.2008 के विरूद्व दिनांक 20.11 2023 को पेश की गई है जो मियाद बाहर है । अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का सर्वप्रथम ज्ञान दिनांक 16.10.2023 को होना बताते हुऐ विलम्ब को माफ कराने का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट मय अपीलान्ट के शपथ पत्र पेश किया गया है। विलम्ब के सम्बन्ध बताये कारण ठोस आधार नही होंने से धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है । साथ ही वकील अपीलांट द्वारा इस अपीलाधीन अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के समान ही ही अन्य आदेश की न्यायालय हाजा में प्रस्तुत अपील संख्या 110/2002 उनवान गुरूभगत सिंह बनाम दी स्टेट ऑफ राज0 में पारित निर्णय 23.9.2002 में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करना बताया जाकर केवल मात्र अवैध खनन के लिए जुर्माना शस्ति आरोपित की जाना बताया है तथा यह अपील प्रकरण भी समान प्रकृति का होना बताया जाकर शास्ति जमा करवाने के लिए तत्पर होना बताया है । हमने न्यायालय हाजा के पूर्व प्रकरण संख्या 110/2002 निर्णय दिनांक 23.9.2002 का अवलोकन किया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त करने का कोई

जिला कलक्टर
कोटा

उल्लेख नहीं होकर अंकित किया है कि रिपोर्ट पटवारी अनुसार मामला अवैध खनन का भी बनता है का मानते हुए अवैध खनन के लिए भी 500/– शास्ति अतिरिक्त आरोपित की गई है । अधीनस्थ न्यायालय का सिवायचक दर्ज करने का आदेश निरस्त नहीं किया है । इसके साथ ही अपीलांट द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के प्रकरण संख्या 223/2006 की आदेशिका पेश की है जो स्पष्ट नहीं है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा क्या निर्णय पारित किया वह प्रस्तुत नहीं किया है । वकील अपीलांट द्वारा अन्तिम बहस उपरान्त निर्णय के समय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत प्रार्थना पत्र बाबत अपील में संशोधन किये जाने की अनुमति प्रदान करने का आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सीपीसी का एवं प्रार्थना पत्र वास्ते अपील में नवीन दस्तावेजों के प्रकाश में बहस करने हेतु अनुमति दिये जाने का प्रस्तुत किया है । चूंकि अपील में अन्तिम बहस दिनांक 12.8.2024 को पूर्ण हो चुकी है अब उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नहीं होने से खारिज किये जाते है । इस प्रकार हम यह पाते है कि अपील अपीलांट 15 वर्ष मियाद बाहर पेश की गई है तथा गुणावगुण पर निर्णय का कोई आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है अर्थात अपीलांट द्वारा अपने कथनानुसार उक्त वर्णित भूमि पर काश्त करने की पुष्टि में खसरे की नकले प्रस्तुत नहीं की है । ऐसी सिथति में अपील स्वीकार योग्य नहीं पाते है ।

7. परिणामतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट मियाद बाहर होने एवं गुणावगुण के आधार पर अपील स्वीकार करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 25.2.2008 के अनुसरण में तहसील के जारी पत्र दिनांक 26.2.2008 की पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1163 दिनांक 5.3.2008 में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है ।

8. निर्णय आज दिनांक 20.8.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा